6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफेक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY
(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नेक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/REG/Systems/F-2/18/2018/Vol-I/1616 दिनांक: 21.01.2020

सूचना – 02/2020

विषय : अत्यधिक आवश्यक मामले को छोड़कर आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता और अन्य को अग्रिम भुगतान के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14(3)/2015-EII(A) के अनुपालन में सिक्किम विश्वविद्यालय में सामान्य वित्तीय नियम, 2017(जीएफआर 2017) लागू किया गया है।

विश्वविद्यालय में यह देखा गया है कि कुछ आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/ठेकेदार/सेवा प्रदाता आपूर्ति या सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान की मांग कर रहे हैं। आमतौर पर, जीएफआर के नियम 172 (1) के अनुसार की गयी आपूर्ति या सेवाओं के लिए भुगतान आपूर्ति या सेवाओं के प्रदान किए जाने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए। इसलिए, आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/ठेकेदार/ सेवा प्रदाताओं को अग्रिम भुगतान करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिवद्धता नहीं की जाएगी और क्रय आदेश/कार्य आदेश और संविदा अनुबंध में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया जाएँ।

हालाँकि, केवल अत्यधिक आवश्यक मामलों में निजी आपूर्तिकर्ता / विक्रेताओं/ ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में एक ही राशि की विशिष्ट स्वीकृति के लिए गारंटी प्राप्त करने के बाद अनुबंध मूल्य का 30% का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है ।

इसलिए, शैक्षणिक विभागों, प्रशासन और प्रधान अन्वेषकों से निवेदन है कि क्रय आदेश / कार्य आदेश / अनुबंध समझौते के अग्रिम भुगतान खंड में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें। फार्म द्वारा बैंक गारंटी जमा किए बिना प्रदान की गई आपूर्ति या सेवाओं के लिए किसी भी निजी आपूर्तिकर्ता / विक्रेता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

देवाशिष पाल

(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. छात्र कल्याण डीन सहित अध्ययन विद्यापीठ के डीन
7. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
8. आंतरिक लेखा अधिकारी
9. अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
10. ई-टेंडरिंग प्रकोष्ठ
11. वैबसाइट समिति को विश्वविद्यालय वैबसाइट में इस **सूचना** को अपलोड करने हेतु
12. सभी सूचना पट
13. सुरक्षा फ़ाइल